

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 41/2024

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—

श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति  
खत्री, निवासी इन्द्रा नगर, बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भजनलाल गोदारा उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.12.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.05.2024 को अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स मुकेश गैस सर्विस, बाड़मेर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री चुन्नीलाल उपस्थित मिला। उक्त दुकान में अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर रखना एवं घरेलु सिलेण्डरों को ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो पांच घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर



क्र.सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	214392	BPCL	29.000 Kg	15.700 Kg	13.300 Kg
2.	38346	HPCL	16.200 Kg	16.100 Kg	00.100 Kg
3.	986362	HPCL	16.800 Kg	15.800 Kg	01.100 Kg
4.	967210	IOCL	29.000 Kg	15.800 Kg	13.200 Kg
5.	650738	IOCL	29.100 Kg	15.600 Kg	13.500 Kg

- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 5 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स थार गैस सर्विस, बाड़मेर के मैनेजर श्री ओमसिंह पुत्र श्री करणसिंह, जाति राजपूत, निवासी रेन बसेरा के पीछे, बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।
- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा उक्त सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिये जा रहे थे तथा उक्त सिलेण्डर की सरकारी नियमानुसार मैं राशि जमा करवा कर सिलेण्डर प्राप्त करना चाहता हूँ। लिहाजा उसके विरुद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।
- हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक




जिला कलक्टर  
बाड़मेर

प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स मैसर्स थार गैस सर्विस, बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा प्रकट किया कि मेरे द्वारा उक्त सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिये जा रहे थे तथा उक्त सिलेण्डर की सरकारी नियमानुसार मै राशि जमा करवा कर सिलेण्डर प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन से पाये जाने से उपरोक्त पांचो गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैर सायल द्वारा उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस राशि जमा कर प्राप्त करने का निवेदन किया है। अतः जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का बाजार मूल्य अनुसार बाजार मूल्य यदि गैर सायल द्वारा अदा किया जाता है तो राशि प्राप्त कर राजसात किए गए गैस सिलेण्डर गैर सायल को सुपुर्द करें एवं निस्तारण द्वारा प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर